

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 21.05.16

संख्या-14/प्रो० 108/13 सा०प्र०- 2300 / बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर, पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/- के श्री राजेश कुमार, कोटि क्रमांक-473/ 2011, विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1065 दिनांक-23.01.14 एवं ज्ञापांक-13018 दिनांक-1.09.15 द्वारा दो विभागीय कार्यवाही संचालित होने, उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं०-23/12 दिनांक-20.10.12 दर्ज होने एवं विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक-67 दिनांक-22.04.15 द्वारा अभियोजन स्वीकृत होने के कारण विभागीय अधिसूचना सं० 16842 दिनांक 25.10.13 के द्वारा अपर समाहर्ता/ समकक्ष स्तर के पे-बैंड ₹ 15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/- में दी गयी स्थानापन्न प्रोन्नति को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

( विजय मोहन नागपटनी )  
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 108/13 सा०प्र०- 2300 /

पटना-15, दिनांक- 21.05.16

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से ) / महालेखाकार बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषांगार पदाधिकारी / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित पदाधिकारी / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,8, एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।